

MCDR-MiFLOLST/8/2023-AJM-IBM_RO_AJM
Violation letter/उल्लंघन पत्र (Speed post/त्रिव डाक)

I/4046/2023

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखूपुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in



Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines, Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-2695202

संख्या: MCDR-MiFLOLST/8/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक: 01/02/2023

प्रेषित: खान एजेंट,
जय-सुरजना चुनापत्थर खान,
मेसर्स बिरला सिमेन्ट वर्क्स लिमिटेड,
सेक्टपर-III, माहादेव नगर,
पोस्ट: सेमलपुर चंदेरिया, तहसिल: चित्तोडगढ़,
जिला: चित्तोडगढ़ (राजस्थान)- 312021
ईमेल: (: kashi.singh@birlacorp.com, narendra.menaria@birlacorp.com)

विषय: राजस्थान राज्य के चित्तोडगढ़ जिले में स्थित आपकी जय-सुरजना चुनापत्थर खान, क्षेत्रफल 588.59 हेक्टेर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 14/01/2023 by undersign in presence of your good-self, Shri Biswaranjan Mohanty, Mine Manager and Shri Narendra Menaria, Geologist of your Mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to the Modified Mining Plan approved on 19/07/2021 to the extent given below for the year 202-22: (1) Total of 51 Boreholes with 2395 mts of drilling was carried out against the proposal of 61 boreholes with 3400 meters. (2) Ore to OB ration of 1:0.24 CuM/CuM has been achieved against the proposal of 1:0.16 CuM/CuM. (3) Garland drain of 500 mts have been constructed against the proposal of 590 mts.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

I/4046/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, चित्तोडगढ़।
4. रक्षित पत्रवली।

वरिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर